

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 175/एनवीएस०(व०स०-२) / गोन-१ / मुद्रा०/ २०१३-१४ / दिनांक ३१/ ११/ २०१५

अनुमति-पत्र

इह अनुमति उप्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ वं १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ सह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर सानुह आवास गान्डिनी (अफोडेल) खींचूत किया जा रहा है, इससे लिस्ट प्रकार ये भिन्नी रथानीह निलाय या इसका स्वामीय अधिकारी एवं व्यक्ति अध्या एर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी तो लोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति फैसो के गिलियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोइ प्रगत न रखेगी।


श्री फग्ना शंकर पुरुष रु० जगदम्बा प्रसाद, श्रीमती फग्ना शुभला तली श्री कमला शंकर द्वारा भूमिकर आराजी संख्या ६६०, ८४१, ८४१मी, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५ मौजा उमरुर नीवा, उपरहार परगना व तहसील—रादर, गिलाइल इलाहाबाद जोग संख्या! (१) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित समूह आवास गान्डिनी (अफोडेल) उपर्युक्त महोदय की स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक १०-११ २०१५ के क्रम में निम्नांकित प्रतिवेद्यों के शब्दान् प्रदान की जाती है :-

१. उप्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १६५ (१) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण भत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपर्युक्त/अधिभीत किया जायेगा, भवत निम्नांग एवं विकास उपर्युक्त २००८ में उपर्युक्त राष्ट्रा—२.१.५ एवं ३.१.८ ने निर्धारित छुकियों पूर्ण कर पूर्णता प्राप्त—पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अन्वेषित (Investigation) शीलुति के लिए से होगी। निम्नांग पूर्ण होने के उपरान्त, रक्षा आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रगत' गत्रं प्राप्त करने के द्वारा ही इस परिवर्तनों वालत विकेत उपर्योग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल गत ४x३ फैट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानदित रास्तों पिपरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसांगे आर्किटेल्ट/इन्फ्रीनियर के एर्म का नन भी अंकित हो।
४. रथत पर ५० अद्व० तु४१ लगाना होगा तथा पृष्ठों को हशा—भरा रखने का विधिवालैकरण का होगा।
५. ऐप० टर हाईवेरिंग प्रणाली नामक के अनुसार पूर्ण करते हुए भू—एर्म जल विभाग से उनापति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। त्रप्तस्त्रात् ही जसा एफ०सौ०आर० अवमुक्त किया जायेगा।
६. सोलर वाटर हीटींग संधर की स्थापन आवश्यक रूप से ली जाय।
७. नगर आयुक्त, नगर नियम इलाहाबाद की अनापति नंबर : ४७६/STCE/2014 दिनांक १९.०३.२०१४ ने अंकित प्रतिवेद्यों का पालन करना होगा। (छायाप्रति रास्ता)
८. उप निवेशक फाउर सर्विस इलाहाबाद की अनापति नंबर : २०१४/६८०/२८३/सिला०/१४३ दिनांक ३०.०१.२०१४ में अंकित प्रतिवेद्यों का पालन करना चाहिए। (छायाप्रति रास्ता)
९. मुख्य अभियन्ता—विद्युत इलाहाबाद की अनापति नंबरों : २७६२/स००१०(व०)६०६१/प०-२(मान्दिनी)। दिनांक ०४.०७.२०१४ में अंकित प्रतिवेद्यों का पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
१०. अधिशासी अभियन्ता (JNNRHM) जल निगम, इलाहाबाद की अनापति नंबरों : १०३१/४२३/३७ दिनांक १२.०३.२०१४ में अंकित प्रतिवेद्यों का पालन करना होगा।। (छायाप्रति संलग्न)

SHEET NO-2







**PROPOSED TERRACE FLOOR PLAN
SCALE-1:100**

S.NO.	PARTICULAR	AREA	
		SQFT	SQM
1	PRO.BUILTUP AREA AT MUMTY/FIRE ESCAPE	2763.44	256.73

NOTE:- ALL DIMENSIONS ARE IN MM.

PROJECT:-
PROPOSED AFFORDABLE GROUP HOUSING AT BHUMIDHARI LAND ARAZI
NO.830, 841 & 841, 842,843,844,845, SITUATED IN MAUZA-UMARPUR NEEWA
UPARHAR PARGANA AND TEHSIL-SADAR,DISTRICT ALLAHABAD.

N

For HK INFRAZONE (P) LTD.
Harriet Harriet Smith

1. MR.KAMLA SHANKER S/O LATE JAGDAMBA PRASAD
2. SMT. KAPOOR SHUKLA W/O MR.KAMLA SHANKER

THIS IS CERTIFIED THAT BUILDING PLAN IS AS

Dilip
DILIP SINGH
ARCHITECT
5 Amrit, M.E., C.O.A.
Reg. No. CAS 4/16740

